



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10122020-223637
CG-DL-E-10122020-223637

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3936]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 9, 2020/अग्रहायण 18, 1942

No. 3936]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 9, 2020/AGRAHAYANA 18, 1942

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 दिसम्बर, 2020

का.आ.4477(अ).—पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइंस (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 2 के खंड (के) द्वारा प्रदान शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में भारत सरकार की अधिसूचना के का.आ.संख्या 777 दिनांक 08.05.2019, भारत के साप्ताहिक राजपत्र संख्या 20, दिनांक 12.05.2019 से 18.05.2019 के भाग II, धारा 3, उपधारा (ii) पर प्रकाशित, में निम्नलिखित संशोधन करती है अर्थात:—

उक्त अधिसूचना में, संख्याओं और शब्दों के स्थान पर

प्राधिकारी का नाम और पता

(1)

अधिकारिता का क्षेत्र

(2)

श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह-II, डिप्टी कलेक्टर, आगरा

उत्तर प्रदेश राज्य

सक्षम प्राधिकारी,

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड,

उत्तरी क्षेत्र पाइपलाइन्स

6033 GI/2020

(1)

मथुरा - टूंडला पाइपलाइन का संवर्धन तथा बरौनी - कानपुर पाइपलाइन
(बीकेपीएल) के गौरिया टी पॉइंट से इसका जुड़ाव परियोजना,
ई-160, प्रथम और द्वितीय तल, कमला नगर,
आगरा (उत्तर प्रदेश)-282 004

संख्या और शब्द

प्राधिकारी का नाम और पता (1)	अधिकारिता का क्षेत्र (2)
श्री वीरेंद्र कुमार मित्तल, डिप्टी कलेक्टर, आगरा सक्षम प्राधिकारी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, उत्तरी क्षेत्र पाइपलाइन्स मथुरा - टूंडला पाइपलाइन का संवर्धन तथा बरौनी - कानपुर पाइपलाइन (बीकेपीएल) के गौरिया टी पॉइंट से इसका जुड़ाव परियोजना, ई-160, प्रथम और द्वितीय तल, कमला नगर आगरा (उत्तर प्रदेश)-282004	उत्तर प्रदेश राज्य के 07 जनपद यथा – फिरोजाबाद, आगरा, मैनपुरी, इटावा, औरैया, कानपुर देहात, एवं कानपुर नगर

पढ़ा जाए।

यह अधिसूचना जारी होने की तारीख से लागू होगी।

[फा.सं. आर-11025(11)/20/2018-ओ-आर-1/ई-27595]

सुशील टी. विलियम्स, उप सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th December, 2020

S.O. 4477 (E).— In exercise of the powers conferred by clause (a) of section 2 of the Petroleum and Minerals pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas, S. O. number 777 dated 08.05.2019, published in part II, section 3, sub-section (ii) in the Weekly Gazette of India No. 20 dated 12.05.2019 to 18.05.2019.

In the said notification, for the numbers and words,

Name and address of the Authority (1)	Area of jurisdiction (2)
Sh. Devendra Pratap Singh-II, Deputy Collector, Agra Competent Authority, Indian Oil Corporation Limited,	State of Uttar Pradesh

Northern Region Pipelines
 Augmentation of Mathura-Tundla Pipeline and its
 extension for hook-up with Barauni-Kanpur Pipeline
 (BKPL) at Gawria T-Point Project,
 E-160, 1st and 2nd Floor, Kamla Nagar
 Agra (Uttar Pradesh) – 282 004

the numbers and words,

Name and address of the Authority (1)	Area of jurisdiction (2)
Sh. Virender Kumar Mittal, Deputy Collector, Agra Competent Authority, Indian Oil Corporation Limited, Northern Region Pipelines Augmentation of Mathura-Tundla Pipeline and its extension for hook-up with Barauni-Kanpur Pipeline (BKPL) at Gawria T-Point Project, E-160, 1st and 2nd Floor, Kamla Nagar Agra (Uttar Pradesh) – 282 004	Seven Districts in Uttar Pradesh State viz – Firozabad, Agra, Mainpuri, Etawah, Auraiya, Kanpur Dehat, and Kanpur Nagar

shall be substituted.

This notification shall be applicable from the date of issue.

[F.No.R-11025(11)20/2018-OR-I/E-27595]

SUSHIL T. VILLIAMS, Dy. Secy.